ALTERNATE DISPUTE RESOLUTION

THE CONCEPT, DEVELOPMENT, AND ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION'

AUGUST 1, 2020

SANJEEV KUMAR NIMESH
DEPARTMENT OF LAW, MONAD UNIVERSITY

Programme-	**LL.B**
Course -	**ALTERNATE DISPUTE OF RESOLUTION**
Course Code-	**LL.B-212**
Sem-	**3rd sem**
Year-	**2020-21**
Unit-	**1 (Part-1)**
Topic-	**ALTERNATE DISPUTE OF RESOLUTION**
Sub-Topic-	**THE CONCEPT NEED DEVELOPMENT, AND ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION'**
Faculty-	**Mr Sanjeev kumar nimesh**
E-mail-	**sara2015nim@gmail.com**

वैकल्पिक विवाद समाधान की अवधारणा

ADR एक संक्षिप्त नाम है जो 'वैकल्पिक विवाद समाधान' के लिए है। एडीआर उन सभी विवादों को सुलझाने के तरीकों को संदर्भित करता है जो अदालतों में मुकदमेबाजी के विकल्प हैं। एडीआर प्रक्रिया निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मुकदमेबाज या संभावित वादकर्ता अपने विवादों को हल कर सकते हैं। ये प्रक्रियाएँ आमतौर पर कम खर्चीली और अधिक समीचीन होती हैं। इस पद्धति का उपयोग वाणिज्यिक और श्रम विवादों, तलाक की कार्रवाइयों, कर-दावों को हल करने और अन्य विवादों में किया जा सकता है जो संभवतः अदालत में मुकदमेबाजी में शामिल होंगे।

एडीआर (वैकल्पिक विवाद समाधान) आमतौर पर विवाद समाधान का वर्णन करता है ज

हां एक स्वतंत्र व्यक्ति (एक एडीआर व्यवसायी, जैसे मध्यस्थ) लोगों के बीच विवाद को सुलझाने में मदद करता है। एडीआर लोगों को विवाद को सुलझाने में मदद कर सकता है इससे पहले कि वह इतना बड़ा हो जाए कि एक अदालत या न्यायाधिकरण शामिल हो जाए। एडीआर बहुत लचीला हो सकता है और लगभग किसी भी तरह के विवाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

ADR का उपयोग कर सकते हैं:

- अपने विवाद में सभी या कुछ मुद्दों को हल करने में आपकी मदद करें
- एक निष्पक्ष प्रक्रिया प्रदान करें
- विवाद में शामिल सभी लोगों के लिए काम करने वाले परिणाम प्राप्त करने में आपकी मदद करें।

एडीआर के माध्यम से अपने विवाद को हल करना आपके विवाद को सुलझाने के लिए अदालत या ट्रिब्यूनल से पूछने से अलग है। अपने विवाद को हल करने के लिए एडीआर का उपयोग करने से सभी को फायदा हो सकता है। इसका मतलब है कि अदालत और ट्रिब्यूनल उन विवादों पर विचार करने में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं जिन्हें अदालत या न्यायाधिकरण के फैसले की आवश्यकता है।

एडीआर प्रक्रियाएं आपके विवाद को सुलझाने के अन्य तरीकों की तुलना में कम महंगी हो सकती हैं। एक अदालत में जाना बहुत महंगा हो सकता है। ट्रिब्यूनल कम महंगे हो सकते हैं लेकिन फिर भी सुनवाई और कानूनी लागत शामिल कर सकते हैं यदि आप का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

एडीआर प्रक्रिया और परिणाम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके और अन्य लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल कानूनी अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एडीआर प्रक्रिया आपको और अन्य लोगों को संबंध बनाए रखने में मदद कर सकती है।

- **<u>युगों से ADR का विकास</u>**

अदालतों के बाहर विवाद का समाधान नया नहीं है; दुनिया भर के समाजों ने संघर्षों को सुलझाने के लिए लंबे समय से गैर-न्यायिक, स्वदेशी तरीकों का इस्तेमाल किया है। क्या नया है एडीआर मॉडल का व्यापक प्रचार और प्रसार, अदालत से जुड़े एडीआर का व्यापक उपयोग, और विशिष्ट विवादों के निपटारे की तुलना में लक्ष्यों को व्यापक रूप से महसूस करने के लिए एडीआर के बढ़ते उपयोग।

- **<u>प्राचीन भारत में ए.डी.आर.</u>**

वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली इस देश के लोगों के लिए भी एक नया अनुभव नहीं है। यह प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित है। कानूनी इतिहास यह बताता है कि न्याय प्राप्त करने के लिए युगों से मनुष्य प्रक्रिया को आसान, सस्ता, अमोघ और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग कर रहा है।

यह आमतौर पर माना जाता है कि प्राचीन भारत में सरकार की आमतौर पर प्रचलित प्रणाली राजतंत्र थी और गणराज्य के उदाहरण या तो अपवाद थे या विचलन थे। यह दृश्य स्पष्ट धारणा पर आधारित है कि चूंकि प्राचीन भारत में राजा थे, इसलिए व्यवस्था राजतंत्र की थी।

पहले के समय में, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से कल्स (परिवार या कबीले असेंबली) के हस्तक्षेप से तय किया गया था, सरेनिस (एक ही व्यवसाय का पालन करने वाले पुरुषों के दोषी), परिश्रम (सीखा पुरुषों के कानून जो कानून जानते थे) से पहले राजा विवादों पर फैसला करने के लिए आते थे। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली उनके शुरुआती दिनों में आश्चर्यजनक रूप से जटिल थी, हालांकि काफी सरल थी। वे छोटे से गाँव की बस्तियों (जो बाद में राज्यों में बढ़े) में एक साथ घूमा और उनके राजनीतिक और सामाजिक संगठन का आधार आश्चर्यजनक रूप से नहीं, कबीला या कुला

था। कुछ हद तक उग्रवादी प्रकृति के होने के कारण, यह बहुत ही पितृसत्तात्मक समाज था, जिसमें घर के आदमी को अपने झुंड को नियंत्रण में रखने की उम्मीद थी। कुलियों के समूहों ने मिलकर एक ग्राम या गाँव बनाया, जिसकी अध्यक्षता एक ग्रामिना ने की। कई गांवों ने एक अन्य राजनीतिक इकाई का गठन किया, जिसे एक विसया कहा जाता है, जिसका नेतृत्व एक विसपति करता है।बदले में एक जनसंघ के तहत एकत्र हुए, जिस पर एक राजा या राजा का शासन था। हालांकि, ग्राम, दृश्य और जन के बीच के सटीक संबंध को कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

प्राचीन भारत में मध्यस्थता के कई ग्रेड थे, उदाहरण के लिए पुगा या व्यक्तियों का एक बोर्ड जो विभिन्न संप्रदायों और जनजातियों से संबंधित था लेकिन एक ही इलाके में रहते थे; विभिन्न जनजातियों से संबंधित ट्रेडमैन और कारीगरों की सरेनी या असेंबली, लेकिन एक-दूसरे के साथ किसी तरह से जुड़ा हुआ है, परिवार के संबंधों से बंधे व्यक्तियों के कुला या समूह। शुरुआती समय से, पंचायतों के फैसले बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किए जाते थे। कोलब्रुक (प्राचीन हिंदू कानून पर एक अंग्रेजी विद्वान और टिप्पणीकार) के अनुसार, पंचायतें कानून की नियमित अदालतों के अधीनस्थ मध्यस्थता की विभिन्न प्रणालियां थीं। कुला या परिजन समूह का निर्णय सरेनी द्वारा संशोधन के अधीन था, जो बदले में, पुगा द्वारा संशोधित किया जा सकता था। पुगा के निर्णय से, प्रदेविका और अंत में संप्रभु और राजकुमार के लिए अपील बरकरार थी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार दिन का क्रम थे और वे आमतौर पर बहुत बड़े होते थे। इसलिए, जब एक परिवार के दो सदस्यों के बीच विवाद या विवाद होता था, तो इसे आमतौर पर इसके बुजुर्गों द्वारा सुलझा लिया जाता था। यदि वे किसी भी तरह का समझौता करने में विफल रहे, तो सरेनी या गिल्ड अदालतें हस्तक्षेप करती थीं। 500 ईसा पूर्व से प्राचीन भारत में स्रेनिस या गिल्ड वाणिज्यिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता बन गए थे, वे अच्छी तरह से संगठित थे और उनकी चार या पांच सदस्यों की कार्यकारी समितियां थीं।

- **<u>मुगल काल में ए.डी.आर.</u>**

मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली काफी हद तक अकबर का काम थी, क्योंकि शुरुआती दो मुगल राजाओं (बाबर और हुमायूँ) को वास्तव में एक प्रणाली को लागू करने का मौका नहीं मिला था। आधुनिक कानून, या लिखित कानूनों की तरह कुछ भी मुगल काल में अस्तित्व में नहीं था। इसके लिए एकमात्र उल्लेखनीय अपवाद जहाँगीर के बारह अध्यादेश और फतवा-आईए Xat ^ पर्यवेक्षण के तहत तैयार मुस्लिम कानून का एक पाचन थे। न्यायाधीशों ने मुख्य रूप से कुरान की निषेधाज्ञा या उपदेश, फतवा या पवित्र कानून की पिछली व्याख्याओं को प्रख्यात न्यायविदों,

और कन्नौस या बादशाहों के अध्यादेशों का पालन किया। उन्होंने आमतौर पर प्रथागत कानूनों की अवहेलना नहीं की और कभी-कभी इक्विटी के सिद्धांतों का पालन किया।

मुगलों की तीन अलग-अलग न्यायिक एजेंसियां थीं, जो सभी एक ही समय में काम करती थीं और एक-दूसरे से स्वतंत्र थीं। वे धार्मिक कानून के न्यायालय, धर्मनिरपेक्ष कानून के न्यायालय और राजनीतिक न्यायालय थे। जहां तक धार्मिक कानून की अदालतों का संबंध है, उन की अध्यक्षता काजी लोगों ने की जिन्होंने इस्लामी कानून के अनुसार मामलों का फैसला किया। जहां तक धर्मनिरपेक्ष कानून की अदालतों का संबंध है, उनकी अध्यक्षता गवर्नर, फौजदार और कोतवाल करते थे। अकबर के समय में, ब्राह्मणों को हिंदुओं के मामलों का फैसला करने के लिए नियुक्त किया गया था। पंचायतें भी इसी श्रेणी में आती हैं। धर्मनिरपेक्ष कानून की अदालतें काजी के अंगूठे के नीचे नहीं थीं। राजनीतिक न्यायालयों ने विद्रोह, दंगा, चोरी, डकैती, हत्या आदि जैसे राजनीतिक मामलों की कोशिश की, उनकी अध्यक्षता सुबाधार, फौजदार कोतवाल आदि ने की।

मुगल बादशाहों का अपने नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने में गहरी दिलचस्पी थी। न्याय प्रणाली ने कानून के भीतर भी वरिष्ठ अधिकारियों को रखा, और शायद कानून के ऊपर एकमात्र व्यक्ति स्वयं सम्राट था। हालाँकि ज्यादातर ग्रामीणों ने अपने मामले गाँव की अदालतों में ही हल किए और जाति अदालतों या पंचायतों से अपील की, एक निष्पक्ष अंपायर (सलीस) की मध्यस्थता, या एक बल द्वारा "। दंड काफी गंभीर थे, कारावास से लेकर विच्छेदन, उत्परिवर्तन और कोड़े मारने तक। हालांकि बाद में मृत्युदंड के लिए सम्राट की स्वीकृति अनिवार्य थी। मुगल न्यायिक प्रणाली में, सम्राट अपील की अंतिम अदालत था।

- **<u>ब्रिटिश शासन के दौरान एडीआर</u>**

ब्रिटिश काल के दौरान न्यायिक प्रशासन को बदल दिया गया था। भारत की वर्तमान न्यायिक प्रणाली न्यायिक प्रशासन के बहुत करीब है क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान इसका प्रचलन था। पारंपरिक संस्थानों ने न्याय के प्रशासन की मान्यता प्राप्त प्रणाली के रूप में काम किया और न केवल ब्रिटिश द्वारा स्थापित औपचारिक न्याय प्रणाली के लिए विकल्प। दोनों प्रणालियाँ एक दूसरे के समानांतर काम करती रहीं।

वैकल्पिक विवाद निवारण की प्रणाली को न केवल एक सुविधाजनक प्रक्रिया के रूप में पाया गया, बल्कि ब्रिटिश राज के दिनों में राजनीतिक रूप से सुरक्षित और महत्वपूर्ण के रूप में भी देखा गया। हालांकि, ब्रिटिश राज के आगमन के साथ, विवाद समाधान के इन पारंपरिक संस्थानों ने किसी

तरह से वापस लेना शुरू कर दिया और ब्रिटिश द्वारा शुरू की गई औपचारिक कानूनी प्रणाली ने शासन करना शुरू कर दिया।

ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ, देश में मौजूदा रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान को गति मिली। भारत में आधुनिक मध्यस्थता कानून बंगाल विनियमों द्वारा बनाया गया था। 1772, 1780 और 1781 के बंगाल विनियम मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। बंगाल संकल्प अधिनियम, 1772 और बंगाल विनियमन अधिनियम, 1781 ने पक्षों को मध्यस्थ को विवाद प्रस्तुत करने के लिए प्रदान किया, जिसे आपसी समझौते के बाद नियुक्त किया गया है और जिसका फैसला दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इसलिए, कई विनियम और कानून थे, जो 1772 से परिणाम में काफी बदलाव लाए गए थे। 1857 के मध्यस्थता अधिनियम VIII से संबंधित प्रावधानों वाले कई विनियमों के बाद सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया को संहिताबद्ध कर दिया गया, सिवाय रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किए गए, जिसमें धारा 1212 से 325 शामिल थे। मुकदमों में मध्यस्थता से निपटना। धारा 326 और 327 न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता के लिए प्रदान की गई।

समय-समय पर कुछ अन्य प्रावधानों के बाद, भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1899 में पारित किया गया, जो 1899 का अधिनियम अंग्रेजी पंचाट अधिनियम के आधार पर था । यह मध्यस्थता के विषय पर पहला ठोस कानून था, लेकिन इसका आवेदन कलकत्ता, बॉम्बे के राष्ट्रपति - कस्बों तक सीमित था और मद्रास। अधिनियम, हालांकि कई दोषों से पीड़ित था और गंभीर न्यायिक आलोचनाओं के अधीन था।

1940 के मध्यस्थता अधिनियम को 1899 के भारतीय मध्यस्थता अधिनियम और धारा 89 और खंड (ए) से धारा 104 (1) और नागरिक प्रक्रिया संहिता की दूसरी अनुसूची 1908 के स्थान पर अधिनियमित किया गया था। कानून में संशोधन और समेकित ब्रिटिश भारत में मध्यस्थता से संबंधित और 1996 तक रिपब्लिकन भारत में भी मध्यस्थता पर एक व्यापक कानून बना रहा।

- **<u>स्वतंत्र भारत में ए.डी.आर.</u>**

ग्रामीणों के बीच विवाद का फैसला करने वाले एक गांव में पंचायत, बुजुर्गों और प्रभावशाली व्यक्तियों के एक समूह के रूप में निकायों आज भी असामान्य नहीं हैं। 1982 में अदालतों के विवादों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से शुरू हुआ। पहली लोक अदालत 14 मार्च, 1982 को गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित की गई थी और अब इसे देश से बाहर कर दिया गया है। प्रारंभ में, लोक अदालतों ने अपने निर्णयों के लिए किसी भी वैधानिक समर्थन के बिना एक

स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में कार्य किया। 9 नवंबर 1995 से लागू हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधिनियमन द्वारा, लोक अदालतों की संस्था को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। वाणिज्य के वैश्वीकरण के साथ तालमेल रखने के लिए पुराने आर्बिट्रेशन अधिनियम 1940 को नए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 से बदल दिया गया है।1976 में संशोधन द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXIIA के तहत परिवार से संबंधित मामलों का निपटान प्रदान किया गया है। हिंदू विवाह के खंड 23 (2) और 23 (3) के तहत सुलह के प्रयास करने के प्रावधान।

अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 34 (3) के तहत भी बने हैं। 1984 में फैमिली कोर्ट्स एक्ट लागू किया गया। फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 के तहत पार्टियों के बीच समझौता करने के लिए पारिवारिक न्यायालय का कर्तव्य है।

सिविल प्रक्रिया संहिता में 1999 संशोधन के माध्यम से धारा 89 और आदेश एक्स नियम 1 ए, 1 बी और 1 सी का परिचय, 1908 "न्यायालय संदर्भित वैकल्पिक विवाद समाधान" की प्रणाली को अपनाने में भारतीय विधानमंडल द्वारा की गई एक कट्टरपंथी उन्नति है।

- **<u>एडीआर के लिए विधि आयोग की रिपोर्ट और आवश्यकता</u>**

विकल्प खोजने के कारण:

1. पेंडेंसी का वजन

न्याय के प्रशासन की वर्तमान प्रणाली के काम के कारण विकल्प खोजने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जो लंबित मामलों के वजन के नीचे ढह रही है।

1. नागरिकों से लड़ते हुए राज्य

दिलचस्प बात यह है कि सरकार देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। एक मोटे अनुमान के अनुसार, सभी मामलों में से लगभग 70 प्रतिशत या तो राज्य द्वारा उत्तेजित हैं, या इसके द्वारा अपील की गई है। राज्य नागरिकों के खिलाफ नागरिकों की कीमत पर लड़ाई लड़ता है। इस प्रकार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य भी लंबित मामलों के वजन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।

1. अन्य कारणों से

न्यायविदों ने सुझाव दिया है कि अदालतों की छुट्टियों की संख्या में कमी, और दिनों के काम में वृद्धि। वर्तमान में अदालत प्रति वर्ष 210-230 दिनों के लिए काम कर रही है, जिसमें काफी लंबी गर्मी की छुट्टी है। यदि अदालतें अधिक घंटे और दिन काम करती हैं, तो मुकदमेबाजी को नियंत्रण में लाया जा सकता है।

1. स्थगनों

अनावश्यक स्थगन भी मुकदमेबाजी के जीवन का विस्तार करते हैं। स्थगन के आधार पर स्थगन की प्रक्रिया, देरी में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। स्थगन देने के लिए दिशानिर्देशों के एक सेट को विकसित करने की आवश्यकता है, और विवाद के निपटारे के लिए एक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए, भारत के विधि आयोग ने 'भारत में न्याय वितरण प्रणाली' में सुधार के लिए समय-समय पर समाधान और सुझाव दिए, और ये हैं:

भारत का विधि आयोग, वर्ष 1986 में 117 वीं रिपोर्ट, '*न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण*' पर बात करता है ताकि मामलों के विशाल बैकलॉग को प्रबंधित किया जा सके। कानून अधिकारियों को विवाद समाधान के आधुनिक तरीकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि भारत में न्याय वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित किया जा सके और भारत में सभी स्तर पर न्यायपालिका का पुनर्गठन किया जा सके।

भारत का 221st लॉ कमीशन, वर्ष 2009 में '*नीड फॉर स्पीडी जस्टिस - कुछ सुझाव*' पर अपनी रिपोर्ट के साथ आया था, क्योंकि अदालतों में, विशेषकर उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों के बंटवारे का कारण था, एक कारण रहा है। वादियों के साथ-साथ राज्य के लिए भी बहुत चिंता की बात है। शीघ्र न्याय और शीघ्र परीक्षण प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है जो अच्छे न्यायिक प्रशासन की मूलभूत आवश्यकता भी है। इस रिपोर्ट में, उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए हैं, जो कि प्रभावी होने पर न केवल त्वरित न्याय प्रदान करने में, बल्कि तुच्छ, घिनौने और विलासी मुकदमों को नियंत्रित करने में भी सहायक होंगे।

कई संशोधन सुझाए गए हैं, मामलों के निपटान में देरी को कम करने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी प्रकार के सिविल सूटों के लिए धारा 80 सीपीसी के समानांतर प्रावधानों को पेश किया जाए और मुकदमे दायर किए जाने का प्रस्ताव किया जाए।

इस विषय पर भारत के विधि आयोग की 222nd रिपोर्ट- *एडीआर आदि के माध्यम से न्याय-* निस्तारण की *आवश्यकता* 2009 में सामने आई। *यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रशासन की व्यवस्था की समीक्षा करना कि यह समय की उचित मांगों के लिए उत्तरदायी है। विशेष रूप से सुरक्षित करने के लिए: -*

(i) देरी को खत्म करना, बकाया राशि में तेजी से निकासी और लागत में कमी ताकि कार्डिनल सिद्धांत को प्रभावित किए बिना मामलों के त्वरित और किफायती निपटान को सुरक्षित किया जा सके कि निर्णय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए।

(ii) विलंब के लिए तकनीकी और उपकरणों को कम करने और समाप्त करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण ताकि यह अपने आप में अंत न होकर न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में संचालित हो।

(iii) न्याय प्रशासन के साथ सभी संबंधित मानकों के सुधार। "

यह रिपोर्ट न्यायिक प्रशासन के विषय पर विधि आयोग की विभिन्न पूर्व रिपोर्टों की निरंतरता में थी। इसलिए, यह कहावत है कि न्याय को प्रभावी, शीघ्र, कम खर्चीला और बोझिल होना चाहिए।

सीपीसी के आदेश 1 के नियम 1-ए, 1-बी और 1-सी में विधि आयोग की सिफारिशों को अपनाया और शामिल किया गया था।

भारतीय विधि आयोग (रिपोर्ट संख्या 230), *'न्यायपालिका में सुधार - कुछ सुझाव'* इस रिपोर्ट में सिफारिशें माननीय श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, इन सिफारिशों के अनुसार हैं। :

- न्यायालय के काम के घंटों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। न्यायाधीशों को समय का पाबंद होना चाहिए और वकीलों को स्थगन के लिए नहीं कहना चाहिए, जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 के प्रावधानों द्वारा स्थगन के अनुदान को सख्ती से निर्देशित किया जाना चाहिए।
- न्यायाधीशों को उचित समय के भीतर निर्णय देना चाहिए और उस मामले में, शीर्ष न्यायालय ने अनिल राय बनाम बिहार राज्य के मामले में जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उन्हें सिविल और आपराधिक मामलों में स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए।
- डगमगाते बकाया को देखते हुए, उच्चतर न्यायपालिका में छुट्टियों को कम से कम 10 से 15 दिनों तक रोक दिया जाना चाहिए और अदालत के काम के घंटे को कम से कम आधे घंटे तक बढ़ाया जाना चाहिए।

वर्ष 2012 में *'सिविल लिटिगेशन में कॉस्ट्स* ऑन *सिविल लिटिगेशन'* में भारत की विधि आयोग ने अपनी 240 वीं रिपोर्ट में कुछ उपाय सुझाए /विधि आयोग ने गहन अध्ययन किया है और कुछ राज्यों में आयोजित सम्मेलन में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के साथ बातचीत की थी। लागत और अधिवक्ता शुल्क के कराधान को नियंत्रित करने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों के नियमों का पालन किया गया है। (I) के सफल लक्ष्यों को यथार्थवादी और उचित लागतों को सुनिश्चित करते हुए, (ii) झूठे और तुच्छ मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने और (iii) अनावश्यक स्थगन को हतोत्साहित करते हुए, सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें की गई हैं। लंबित अपीलों की शीघ्र प्राप्ति को पूरा करने के लिए, कानून में संशोधन का सुझाव दिया गया है। सिफारिशों के अनुसार, CPC में कुछ विधायी बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। धारा 35A (झूठी और तुच्छ मुकदमेबाजी के लिए प्रतिपूरक लागत), एस 95 (अपर्याप्त आधार पर गिरफ्तारी, कुर्की, आदि के लिए मुआवजा) के लिए संशोधन,ऑर्डर XXV (लागतों के लिए सुरक्षा), ऑर्डर LXI (मूल फरमानों से अपील), ऑर्डर XX, नियम 6A (डिक्री की तैयारी), का सुझाव दिया गया है।

वैकल्पिक विवाद मंच में सीपीसी के धारा 89 का प्रभाव:

नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 89 का उद्देश्य यह है कि निपटान को एक उपयुक्त वैकल्पिक विवाद निवारण प्रक्रिया को अपनाकर किया जाना चाहिए। सीपीसी के नियम 89 ए और न ही आदेश एक्स, नियम 1 ए का उद्देश्य मध्यस्थता और सुलह अधिनियम या कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधान को कम करना या संशोधित करना है।

CPC की धारा 89 यह स्पष्ट करती है कि ADR प्रक्रियाओं में से दो (*अर्थात* पंचाट और सुलह) 1996 के अधिनियम द्वारा शासित होंगी। और दो अन्य *अर्थात* लोक अदालत और मध्यस्थता विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा शासित हैं। जब तक संबंधित सभी पक्ष सहमति नहीं देते तब तक सीपीसी का सहारा नहीं लिया जा सकता।

- इनसाइट इन इंडियन ज्यूडिशियल सिस्टम: बैकलॉग ऑफ केस एंड क्राइसिस ऑफ जजेस

आज जब लगभग ढाई करोड़ से अधिक (कानून और न्याय मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 48,838 मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, 38,82,074 मामले उच्च न्यायालय में और 2,52,40,185 अधीनस्थ न्यायालयों में 31.1 के रूप में लंबित हैं .2008) हमारी अदालतों में लंबित मामले का मतलब है कि कम से कम पाँच करोड़ लोग सीधे मुकदमेबाजी में शामिल हैं कि हमारी आबादी का लगभग 4 प्रतिशत, और हमारे पास निचली अदालत के स्तर पर केवल 12,500 न्यायाधीश

हैं और विभिन्न उच्च न्यायालय और 26 में लगभग 647 न्यायाधीश हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश।

हमारी न्याय प्रशासन प्रणाली प्रकृति में "प्रतिकूल" है जिसमें दो पक्ष हैं और वे अदालत में एक-दूसरे के आमने-सामने हैं, और हमने देखा है कि यह कानूनी मुद्दे नहीं हैं जो कि ज्यादातर मामलों में शामिल हैं। हमारे बजाय इसका अहंकार जो बीच में आता है और यह अंततः मुकदमों और घृणा के बीच रक्त में समाप्त होता है।

यह भी देखा गया है कि हमारी अदालतों के पास बहुत ही सीमित समय है उदाहरण के लिए 10:00 AM से 5:00 PM हम कोर्ट में हैं लेकिन उस दौरान हमें फाइलों पर हस्ताक्षर, और दिन के आदेशों जैसे विभिन्न चीजों के लिए समय का प्रबंधन करना होगा, बैठकें, उच्च न्यायालयों के निर्देशों का अनुपालन और अन्य विविध कार्य, जिन्हें एक न्यायाधीश को देखना होता है।

समय की खपत हमारी कानूनी प्रणाली की संरचनात्मक संपत्ति है। इसलिए, इससे बड़ी संख्या में केस बैकलॉग बनता है। 'देरी' 1) राज्य, 2) न्यायालयों, 3) वादियों के कारण होती है।

न्याय के प्रशासन से संबंधित मामले के लिए प्राथमिकता के अभाव में 'राज्य' संकट में योगदान देता है। न्यायिक नियुक्तियाँ बिना किसी वैध कारणों के लिए आयोजित की जाती हैं; इसे शाह कमेटी की रिपोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया था। न्यायिक नियुक्तियों का एक अन्य संबंधित पहलू उच्चतर न्यायपालिका के लिए नियुक्त न्यायाधीशों की गुणवत्ता से संबंधित है। राज्य एक कुशल और न्यायपूर्ण प्रशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यायिक जनशक्ति का यथार्थवादी मूल्यांकन प्रदान करके अपने कर्तव्य में विफल रहा।

'कोर्ट' संकट में योगदान देता है, अदालत प्रबंधन प्रक्रियाओं की कमी बढ़ती बकाया में योगदान करती है। तैयार मामलों की उचित सूचना बनाए रखने में विफलता, पुराने मामलों के लिए प्राथमिकता प्रदान करने में विफलता, उच्च न्यायालयों में देरी और बकाया के लिए कानून के समान बिंदुओं को शामिल करने वाले मामलों को एक साथ करने में विफलता।

'लिटिगेंट्स' संकट में भी योगदान देता है, वरिष्ठ वकील, जिनके हाथ में काम बहुत अधिक केंद्रित है, उनकी गैर-उपलब्धता और अप्रस्तुतता में देरी और बकाया में योगदान करते हैं। वे रवैया एक बड़ी चिंता का विषय है, जो पैसे की पीढ़ी के आसपास मामले को देरी से और भविष्य की तारीखों को प्राप्त करने का समाधान करते हैं।

इसलिए, कानूनी प्रणाली या चिकित्सकों और शिक्षाविदों के बीच विवाद के निपटारे के दूसरे तरीके में बदलाव की कोशिश करता है।

- एडीआर बनाम मुकदमेबाजी
- मध्यस्थता में, पार्टियां पारंपरिक अदालत के बाहर अपने विवाद का निपटारा कर सकती हैं, जबकि कानून की अदालत के अंदर मुकदमेबाजी की प्रक्रिया होती है।
- मध्यस्थता में, वकीलों को शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, जबकि मुकदमेबाजी में न्यायाधीशों द्वारा केवल कार्रवाई वकीलों द्वारा लाई जाती है।
- मध्यस्थता, विवाद समाधान की एक निजी पद्धति है जिसमें पक्षकार व्यक्ति या व्यक्तियों का चयन करते हैं जो अंत में पार्टियों द्वारा सहमत या कम से कम अदालत के हस्तक्षेप के साथ एक प्रक्रिया के बाद मुद्दों को तय करेंगे, जबकि मुकदमेबाजी में यह मामला है। ।
- मुकदमेबाजी में, न्यायाधीशों में हमेशा तकनीकी क्षमता नहीं होती है, जबकि मध्यस्थता में पक्षकारों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए एक क्षेत्र में एक विशेषज्ञ का चयन कर सकते हैं।
- आम तौर पर मध्यस्थों से एक मामले पर अधिक समय बिताने की उम्मीद की जाती है, जो न्यायाधीश आमतौर पर कर सकते हैं। यह जटिल मामलों में मूल्यवान है और परिणाम बेहतर हो सकता है।
- मध्यस्थ अक्सर, और सिद्धांत में न्यायाधीशों की तुलना में अधिक लचीले कार्यक्रम होते हैं और खुद को शाम या छुट्टियों के दौरान उपलब्ध करा सकते हैं।
- मध्यस्थता की कार्यवाही में, मामले को फिट करने के लिए नियमों को अनुकूलित किया जा सकता है।
- मई बड़े मुकदमेबाजी बनाम छोटे मुकदमेबाजी में छोटे वादियों के पक्ष में पक्षपात कम कर सकता है। एक मध्यस्थ के पास कई न्यायाधीशों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता हो सकती है
- मध्यस्थता में पार्टियों को कानून का विकल्प दिया जाता है, जो मुकदमेबाजी के मामले में नहीं है।
- मध्यस्थता एक कम औपचारिक प्रकार का विवाद समाधान है, जबकि मुकदमेबाजी पारंपरिक है, और औपचारिक, विवाद समाधान का रूप है।

<u>एडीआर और इसके प्रकार</u>

- **<u>पंचाट</u>**

जब दो या अधिक व्यक्ति इस बात पर सहमत होते हैं कि उनके बीच एक विवाद या संभावित विवाद को न्यायिक तरीके से एक या एक से अधिक निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी तरीके से तय किया जाएगा, तो इस तरह के निपटान के बाद आया समझौता 'मध्यस्थता समझौता' कहलाता है। प्रक्रिया को 'मध्यस्थता' कहा जाता है और जब निर्णय लिया जाता है तो इसे 'पुरस्कार' कहा जाता है ।

- **<u>समझौता</u>**

सुलह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तीसरा पक्ष समझौते द्वारा अपने विवादों को हल करने के लिए पक्षकारों की सहायता करता है। एक सुलहकर्ता विवाद के गुणों के बारे में एक राय व्यक्त कर सकता है ताकि पार्टियों को एक समझौते तक पहुंचने में मदद मिल सके। इसलिए, सुलह समझौताकर्ता की सहायता से समझौता समझौता है।

- **<u>मध्यस्थता</u>**

मध्यस्थता एक स्वतंत्र तीसरे व्यक्ति की सहायता से विवादों को हल करने के लिए एक प्रक्रिया है जो एक वार्ता समाधान तक पहुंचने के लिए विवादों में पक्षकारों की सहायता करती है। मध्यस्थता एक तीसरे पक्ष के विवाद में स्वीकार्य हस्तक्षेप है जिसमें निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।

- **<u>मोल भाव</u>**

वार्ता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पक्ष अपने विवादों को हल करते हैं। वे कार्रवाई के लिए सहमत हैं और लाभ के लिए मोलभाव करते हैं। कभी-कभी, वे ऐसे रचनात्मक विकल्प को अपनाने की कोशिश करते हैं जो उनके आपसी हितों को पूरा करता है। अपने पारस्परिक फायदों के कारण, लोग घर से लेकर कोर्ट-कचहरी तक लगभग सभी क्षेत्रों में बातचीत करते हैं।

- **<u>लोक अदालत</u>**

लोक अदालत का आम तौर पर मतलब होता है लोगों की अदालत। यह अवधि के सख्त अर्थों में एक अदालत नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां पक्षों के बीच विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक प्रयास किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) का एक मंच है। यह प्रणाली गांधियन सिद्धांतों पर आधारित है। यह शीघ्र और सस्ती न्याय के लिए वैकल्पिक संकल्प या वसीयत प्रदान करता है।

- **<u>ग्राम न्यालय</u>**

ग्राम न्यायालय विवाद समाधान का एक वैकल्पिक रूप है। ग्राम न्यायालय भारतीय न्यायपालिका की संरचना में सुधारों में नवीनतम है। यह प्रणाली शीघ्र न्याय प्रदान करती है। एक अलग अदालत के रूप में ग्राम न्यायालय को 1986 में वापस 114 वें विधि आयोग (lawcommissionofindia.nic.in) द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ग्रामीण वाद के लिए अधिनिर्णय का यह मॉडल सबसे उपयुक्त होगा। विधि आयोग ने देखा कि इस तरह के न्यायालय गांवों के लिए आदर्श रूप से अनुकूल होंगे

क्योंकि इस तरह के न्यायालय के सामने आने वाले विवादों की प्रकृति 'सरल, सरल और समाधान के लिए आसान' होगी और इस तरह के विवादों को प्रक्रियात्मक बपतिस्मा में नहीं होना चाहिए।

- **<u>ऑनलाइन एडीआर तंत्र</u>**

इंटरनेट के संदर्भ में, जहां दुनिया के विभिन्न कोनों में स्थित पार्टियां माउस के क्लिक पर एक-दूसरे के साथ अनुबंध कर सकती हैं, ऑनलाइन विवादों की मुकदमेबाजी अक्सर असुविधाजनक, अव्यावहारिक, समय लेने वाली और निषेधात्मक होती है। ऑनलाइन विवादों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करना शिकायतों का निवारण करने और ई-कॉमर्स में उपभोक्ता विश्वास प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) इस तरह के दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार है।

1996 में शुरू की गई वर्चुअल मजिस्ट्रेट परियोजना ने इंटरनेट से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एडीआर के उपयोग का विचार शुरू किया। 18 दिसंबर 2000 को वाशिंगटन डीसी में एक शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए साइबरस्पेस में एडीआर के उपयोग को बढ़ावा देने वाले संयुक्त बयान ने गेंद को रोल किया। तब से, सरकारों, उपभोक्ता समूहों, वकीलों, शिक्षाविदों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित विभिन्न संस्थाओं को इंटरनेट पर विश्व स्तर पर एडीआर को लागू करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में पहुंचने में मदद मिली है।

<u>मौजूदा ऑनलाइन एडीआर सेवाएं</u>

- वर्चुअल मजिस्ट्रेट प्रोजेक्ट

वर्चुअल मजिस्ट्रेट प्रोजेक्ट (VMAG) का उद्देश्य है कि ऑनलाइन तकनीक का उपयोग मध्यस्थता का उपयोग करके त्वरित, लागत प्रभावी और सुलभ साधनों में ऑनलाइन विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है। सभी कार्यवाही ई-मेल द्वारा की जाएगी, और प्रारंभिक शिकायत प्राप्त होने पर तीन व्यावसायिक दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना था। हालांकि, VMAG काफी हद तक असफल रहा क्योंकि कई शिकायतें इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थीं और परियोजना का व्यापक रूप से विज्ञापन नहीं किया गया था, जिससे इस सेवा के बारे में कम जागरूकता पैदा हुई।

- ऑनलाइन लोकपाल कार्यालय

ऑनलाइन लोकपाल कार्यालय (OOO) जून 1996 में एक "मध्यस्थता सेवा के उद्देश्य से शुरू हुआ जो असहमति के उद्देश्य से ऑनलाइन गतिविधियों की एक विस्तृत सरणी से उत्पन्न हुई थी। OOO वर्तमान में "विवाद समाधान केंद्र के रूप में मौजूद है, जो ऑनलाइन विवाद समाधान संसाधनों को रोजगार और विकसित करने के लिए काम कर रहा है।

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

WIPO यूनिफ़ाइड डोमेन नेम डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन पॉलिसी (UDRP) के तहत इंटरनेट कॉरपोरेशन फ़ॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (ICANN) द्वारा अपनाया जाने वाला प्रमुख मान्यता प्राप्त डोमेन नाम विवाद समाधान प्रदाता है। डोमेन नाम का मामला आमतौर पर ऑनलाइन प्रक्रियाओं का उपयोग करके दो महीने के भीतर संपन्न होता है। WIPO मध्यस्थता पुरस्कार, हालांकि, बाध्यकारी नहीं है, और निर्णय के दस दिनों के भीतर या तो पार्टी अदालत के समक्ष मामला ले जा सकती है। WIPO प्रक्रिया डोमेन नाम विवादों को निपटाने में बहुत सफल रही है।

- ईमानदारी वाला व्यापार

1999 में स्थापित, स्क्वायर ट्रेड एक और लोकप्रिय ऑनलाइन एडीआर सेवा प्रदाता है जो ई-कॉमर्स उपभोक्ता विवादों की मध्यस्थता के लिए एक मंच प्रदान करता है। एक बार खरीदार या विक्रेता साइट के साथ शिकायत दर्ज करता है, स्क्वायर ट्रेड शिकायत के दूसरे पक्ष को सूचित करता है। पक्ष पहले विवाद को सीधे बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं, जिसके दौरान वे मध्यस्थ की सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। मध्यस्थ दलों को निष्पक्ष और परस्पर सहमत निपटान तक पहुंचने में सहायता करता है और पार्टियों के अनुरोध पर समाधान की सिफारिश करता है। पार्टियां सीधे बातचीत या मध्यस्थता के आधार पर एक समझौता समझौते पर पहुंचती हैं। हालांकि, पारंपरिक कानूनी प्रणाली हमेशा उन दलों के लिए खुली है जो स्क्वायर ट्रेड रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

- कॉम

Cybersettle.com मौद्रिक विवादों, विशेष रूप से बीमा संबंधी और श्रमिकों के मुआवजे के विवादों के निपटारे पर केंद्रित है। यह सेवा विवादों को निपटाने के लिए अंधा बोली वार्ताओं की प्रक्रिया का उपयोग करती है। पार्टियां वेबसाइट पर ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइन गोपनीय निपटान बोली प्रस्तुत करती हैं। Cybersettle.com आमतौर पर तीन दौर की बोली लगाने की अनुमति देता है। Cybersettle.com ई-मेल के माध्यम से दूसरे पक्ष को सूचित करता है कि पहल करने वाली पार्टी ने बोलियों में प्रवेश किया है। दूसरी पार्टी पहले, दूसरे और तीसरे दौर की पेशकश के रूप में

निपटान की मांग प्रदान करती है। सॉफ़्टवेयर तकनीक स्वचालित रूप से निर्धारित बोली की तुलना यह निर्धारित करने के लिए करती है कि पार्टियां किसी निपटान में पहुंची हैं। वकीलों या दावों के पेशेवरों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है जब तक कि कोई समझौता न हो। जहां कोई बस्ती नहीं है,बोलियों को गोपनीय रखा जाता है और पक्ष संकल्प के अन्य साधनों को आगे बढ़ा सकते हैं।

ऑनलाइन एडीआर के लिए सबसे उपयुक्त मामले

ऑनलाइन विवाद आमतौर पर प्रदर्शित या उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री के संबंध में उत्पन्न होते हैं। ऑनलाइन एडीआर तंत्र का उपयोग करके कुछ प्रकार के विवादों को हल किया जा सकता है:

- ई-कॉमर्स विवाद
- डोमेन नाम विवाद
- बौद्धिक संपदा विवाद
- मौद्रिक विवाद
- एडीआर के लाभ

भारत के लोगों को त्वरित, प्रभावी राहत देने के लिए, त्वरित रूप से मामलों के निपटान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान की शुरूआत दिन की तत्काल आवश्यकता है। ADR से मिलने वाले लाभ हैं:

- यह पार्टियों को शीघ्र राहत प्रदान करेगा
- इसका उपयोग कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है
- पारंपरिक कोर्ट-प्रैक्टिस और प्रक्रिया की तुलना में विवाद को सुलझाने के लिए यह अधिक समय बचाने वाली प्रक्रिया है
- इससे कोर्ट पर बोझ कम होगा
- वकील की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। वकील अदालत की सहायता कर सकते हैं और कानून या प्रक्रिया में शामिल मुद्दों के जटिल प्रश्न को समझने में पार्टियों की मदद कर सकते हैं
- यह यथासंभव तेजी से वादकारियों को बेहतर समाधान प्रदान कर सकता है
- जब उन्हें निपटान में पहुंचने में विफल रहता है, तो पार्टियों को अदालत से संपर्क करने का हर अधिकार है
- यदि पक्षकार निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल होते हैं तो पार्टियों के बयान को अदालती कार्यवाही में प्रवेश के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है
- प्रक्रियाएं लचीली हैं
- कानून और प्रक्रिया की तकनीकी, साक्ष्य के नियमों का एडीआर तंत्र में कोई स्थान नहीं है
- पक्ष उस विषय के क्षेत्र में विशेष तटस्थ व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं जो विवाद का विषय है

वैकल्पिक विवाद समाधान के फायदे और नुकसान बताएं '

परिचय

अदालत प्रणाली के अलावा अन्य तरीके हैं जिनसे विवादों को हल किया जा सकता है। विवाद अक्सर हर अब होते हैं और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे सावधानी से संभाला जाए। इस दुनिया में निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और उचित निर्णय बहुत प्रभावी है। एक निर्णय पूरी स्थिति को बदल सकता है। इसी प्रकार निर्णय व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह किसी का सम्मान छीन सकता है और फिर किसी व्यक्ति को फिर से सम्मान दे सकता है। शब्द "विवाद" का अर्थ है "असहमति" और शब्द "संकल्प" का अर्थ है "कुछ हल करने की क्रिया।" वैकल्पिक विवाद समाधान समझौते का एक रूप है। वैकल्पिक विवाद समाधान में विवाद को हल करने के विभिन्न तरीके शामिल हैं। इनमें से कई दृष्टिकोणों में एक तटस्थ व्यक्ति है जो विवादित पक्षों को उनकी असहमतियों को हल करने में सहायता करता है।एडीआर औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं और मुकदमेबाजी के उपयोग के दौरान या उससे पहले विवादों को हल करने के लिए पार्टियों के अवसरों को बढ़ाता है। यह पारंपरिक दृष्टिकोणों को बदलने का इरादा नहीं है और यह हितधारक की भागीदारी और खरीद-इन के माध्यम से कर्मचारी-नियोक्ता संघर्षों को दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकता है। जब निर्णय लेने की बात आती है तो यह बहुत सहायक होता है। कई बार यह बहुत मददगार होता है और फिर इसमें कुछ दोष भी होते हैंकई बार यह बहुत मददगार होता है और फिर इसमें कुछ दोष भी होते हैंकई बार यह बहुत मददगार होता है और फिर इसमें कुछ दोष भी होते हैं

एडीआर के लाभ

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रक्रियाओं के कई फायदे हैं:

- विवाद में कम समय- अंतिम निर्णय तक पहुंचने में कम समय लगता है।
- विवाद समाधान से संबंधित लागत में कमी- इसके लिए कम पैसे की आवश्यकता होती है अर्थात यह सस्ता होता है।
- लचीलेपन-दलों के पास यह चुनने में अधिक लचीलापन है कि विवाद पर क्या नियम लागू किया जाएगा। उन्हें ऐसा करने की आजादी है।
- अच्छे परिणाम का उत्पादन- 85 प्रतिशत तक निपटान दर।
- विवादों के बीच जिस तरह से विवाद को हल किया जाता है, उसके परिणाम या तरीके से बेहतर संतुष्टि।
- सहमत समाधानों के साथ अनुपालन में वृद्धि।
- *एक एकल प्रक्रिया* [4] - पार्टियां एक एकल प्रक्रिया में हल करने के लिए सहमत हो सकती हैं एक विवाद जिसमें बौद्धिक संपदा शामिल है।
- *पार्टी की स्वायत्तता* - अपने निजी स्वभाव के कारण, एडीआर उन पक्षों पर अधिक नियंत्रण रखने का अवसर देता है, जब उनका विवाद अदालत की मुकदमेबाजी में हल हो जाएगा। अदालती मुकदमेबाजी के विपरीत, पक्षकार अपने विवाद के लिए सबसे उपयुक्त निर्णय लेने वालों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा, वे कार्यवाही के लागू कानून, स्थान और भाषा का चयन कर सकते हैं। बढ़ी हुई पार्टी की स्वायत्तता भी एक तेज प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि पार्टियां अपने विवाद के लिए सबसे कुशल प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे सामग्री की लागत बचत हो सकती है।
- *तटस्थता* - एडीआर पार्टियों की कानून, भाषा और संस्थागत संस्कृति के लिए तटस्थ है, जिससे किसी भी घरेलू अदालत के लाभ से बचा जाता है कि पार्टियों में से एक अदालत-आधारित मुकदमेबाजी में आनंद ले सकता है।
- *गोपनीयता*- ADR कार्यवाही निजी है। जिससे, पक्ष कार्रवाई को गोपनीय रखने के लिए सहमत हो सकते हैं। यह उन्हें इसके सार्वजनिक प्रभाव के बारे में चिंता किए बिना विवाद के गुणों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।
- *पुरस्कारों की अंतिम स्थिति*- अदालत के फैसलों के विपरीत, जो आम तौर पर मुकदमेबाजी के एक या अधिक दौरों के माध्यम से लड़ी जा सकती है, आम तौर पर मध्यस्थता पुरस्कार अपील के अधीन नहीं होते हैं।
- *पुरस्कारों* की प्रवर्तनीयता - 1958 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की मान्यता और प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है , आम तौर पर योग्यता पर समीक्षा के बिना घरेलू अदालत के निर्णयों के साथ सममूल्य पर मध्यस्थता पुरस्कार की मान्यता प्रदान करता है। यह सीमाओं के पार पुरस्कारों के प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करता है।
- रिश्ते को बनाए रखता है- लोगों को एक विजेता या एक हारे हुए बनाने के बजाय सहयोग करने में मदद करता है।

एडीआर के नुकसान

वैकल्पिक विवाद समाधान के कुछ नुकसान हैं:

- इसका उपयोग स्टालिंग रणनीति के रूप में किया जा सकता है।
- पार्टियों को बातचीत या मध्यस्थता जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है।
- कानूनी मिसाल पेश नहीं करता है।
- अंतिम पार्टियों का बहिष्कार अंतिम समझौते को कमजोर करता है।
- पार्टियों में सीमित सौदेबाजी की शक्ति हो सकती है। पार्टियों के पास बहुत कुछ नहीं है।
- पार्टियों के बीच शक्ति असंतुलन पर कम या कोई जाँच नहीं।
- पार्टियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। पक्षों के अधिकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है।
- **आपका मामला एक अच्छा फिट नहीं हो सकता है** [5] **-** वैकल्पिक विवाद समाधान केवल पैसे या नागरिक विवादों के मुद्दों को हल करते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान कार्यवाही के परिणामस्वरूप निषेधाज्ञा आदेश नहीं होंगे। वे एक आदेश के परिणामस्वरूप किसी पक्ष को किसी विशेष सकारात्मक कार्य को करने या रोकने की आवश्यकता नहीं कर सकते हैं।
- **खोज प्रक्रिया की सीमाएँ हैं -** आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप आम तौर पर मुकदमेबाजी में पार्टियों की पेशकश किए गए सुरक्षा के बिना कर रहे हैं, जैसे कि खोज को नियंत्रित करने वाले नियम। न्यायालय आमतौर पर खोज प्रक्रिया में अक्षांश का एक बड़ा सौदा करने की अनुमति देते हैं, जो आपके पास वैकल्पिक विवाद समाधान में नहीं होगा।
- कोई निश्चित संकल्प नहीं है। मध्यस्थता के अपवाद के साथ, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाएं हमेशा एक संकल्प का नेतृत्व नहीं करती हैं।
- मध्यस्थता के निर्णय अंतिम होते हैं। कुछ अपवादों के साथ, एक तटस्थ मध्यस्थ के निर्णय की अपील नहीं की जा सकती। एक अदालत के निर्णय, दूसरी ओर, आमतौर पर उच्च अदालत में अपील की जा सकती है।
- भागीदारी को कमजोरी के रूप में माना जा सकता है। हालांकि कार्यवाही को गोपनीय बनाने का विकल्प इस चिंता से कुछ को दूर करता है, कुछ पक्ष अभी भी अदालत में "सिर्फ सिद्धांत पर" जाना चाहते हैं।
- **मामला एक अच्छा फिट नहीं हो सकता है-** वैकल्पिक विवाद समाधान आम तौर पर केवल पैसे या नागरिक विवादों के मुद्दों को हल करते हैं।
    - **खोज प्रक्रिया की सीमाएँ हैं-** एक को यह भी पता होना चाहिए कि वह आम तौर पर मुकदमों में पक्ष की पेशकश किए गए सुरक्षा के बिना आगे बढ़ रहा है, जैसे कि खोज को नियंत्रित करने वाले नियम।

निष्कर्ष

इस विषय के माध्यम से मुझे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) नामक एक नया शब्द सीखने को मिला। मैंने अपने विषय के बारे में अधिक से अधिक विवरण प्रदान करने का प्रयास किया है। मुझे पता चला कि वैकल्पिक विवाद समाधान का मतलब क्या है, एडीआर के कितने प्रकार हैं, एडीआर के फायदे और नुकसान क्या हैं। मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं और बांग्लादेश के संबंध में वैकल्पिक विवाद समाधान के संबंध में कोशिश की है। मुकदमेबाजी अंतिम उपाय होनी चाहिए और इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब एडीआर प्रक्रिया विफल हो जाए। हालाँकि, यह आवश्यक है कि दावे या विवाद में शामिल सभी पक्ष खुले दिमाग के साथ एडीआर से संपर्क करें और यदि कोई सफलता का कोई मौका है तो समझौता करने की इच्छा है। मध्यस्थता का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। जब परिवार के मामलों को संभालने की बात आती है तो मध्यस्थता बहुत उपयोगी है।

References

- Dr. Shraddhakara Supakar, Law of Procedure and Justice in Ancient India, Deep & Deep Publication, New Delhi, 1986.

- Sarvesh Chandra, ADR: Is Conciliation the Best Choice, in P.C. Rao and William Sheffield (eds.), Alternative Dispute Resolution: What it is and How it Works, Universal Law Publishing Co., New Delhi, (1997) p. 85

- Nripendra Nath Sircar, Law of Arbitration in British India (1942), p. 6 cited in 76'th Report of Law Commission of India, 1978, p. 6, para 1.14

- Anil Rai v. State of Bihar, (2001) 7 SCC 318.

- Ronald Berstein Derek Wood in Handbook of Arbitration Practice, 2nd Edn., P.9.
- http://www.lorman.com/newsletter/article.php?article_id=1155&newsletter_id=248&category_id=8&topic=LIT
- http://www.duhaime.org/LegalResources/CivilLitigation/LawArticle-18/Alternative-Dispute-Resolution-ADR-An-Introduction.aspx
- http://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution
- http://www.mncourts.gov/?page=303
- http://www.wipo.int/amc/en/center/advantages.html

- http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/a/alternative-dispute-resolution-general-civil-cases/4-advantages-and-disadvantages-of-adr
- http://www.life123.com/career-money/business-law/contracts/disadvantages-of-alternative-dispute-resolution.shtml
- http://suite101.com/article/advantages-and-disadvantages-of-adr-a58925
- http://www.vakilno1.com/saarclaw/bangladesh/arbitrationlaw/arbitration_law_in_bangladesh.htm
- http://www.lawteacher.net/arbitration-law/essays/alternative-disputes-resolution.php